रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 142] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अगस्त 12, 1971/श्रावण 21, 1893
No. 142] NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 12, 1971/SRAVANA 21, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue and Insurance)

NOTIFICATION

CUSTOMS

New Delhi, the 12th August 1971

G.S.R. 1171.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts Snake Skins, falling under Item No. 26(ii) of the second Schedule to the Indian Tariff Act, 1934 (32 of 1934), when exported from India, from so much of the duty of customs leviable thereon under the second mentioned Act as is in excess of 10 per cent *ad valorem*.

[No. 71/F. No. 6/18/68-Cus. I.]

J. DATTA, Dy. Secy.

वित्त मंत्रालय

(राजस्व और बीमा विभाग)

अधिसूचना

सीमा शुल्क

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1971

सा० का० नि० 1171.—सीमा शुल्क अधिनियम 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्द्वारा भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की द्वितीय अनुसूची की मद संख्या 26(ii) के अन्तर्गत आने वाली सांप की खाल को जब उसे भारत से निर्यात किया जाय तब उस पर द्वितीय उपर्युक्त अधिनियम के अन्तर्गत उद्ग्रहणीय सीमा शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 10 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक्य में है ।

[सं० 71/का० सं० 6/18/68 सी० शु०-1]

ज्योतिर्मय बसु, उप सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1971